संख्याः / माध्यमिक / 2004

प्रेषक,

जे0 पी0 जोशी,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनॉक 25 फरवरी, 2004

विषयः टी0एस0 कान्वेट स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल का नाम परिवर्तित कर " गुरुकुल स्कूल हल्द्वानी नैनीताल " किया जाना।

महोदय,

अवगत कराया जाना है कि शासनादेश संख्याः 5020/15-7-16(43)/1998 दिनॉक 30-10-1998 द्वारा टी0एस0 कान्वेट स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु प्रदेश सरकार की अनापत्ति निर्गत की गई थी। तद्‌क्रम में सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली के पत्र संख्या 21868/ 2002 /6005 दिनॉक 21-3-2002 द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गई थी। जनपद स्तर से प्राप्त प्रस्तावानुसार टी0एस0 नाम से व्यवसाय भी संचालित हैं जिनकी छवि अच्छी नहीं है। अतएव विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय का नाम परिवर्तित कर गुरुकुल स्कूल हल्द्वानी किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। विद्यालय के नाम परिवर्तन में प्रदेश सरकार को आपत्ति नहीं है। कृपया निर्णय लेना चाहें।

भवदीय,

(जे0 पी0 जोशी)
उप सचिव

संख्याः 166 (1)/माध्यमिक/2004 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरॉचल, देहरादून।

2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल- नैनीताल।
3- जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
4- प्रबन्धक, टी0एस0 कन्वेट स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल।
5- अनुभागीय प्रति।

Director
Gurukul International School
HALDWANI (Nainital)

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
उप सचिव

Principal,
Gurukul International School
HALDWANI (Nainital) UK

संख्या- 5090 /15-7-16(431)/1998

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 1998

विषय:- डी०एस०बी० बालेन्द्र स्कूल हरिपुर नायक कमलुआगांजा हल्द्वानी (नैनीताल) को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डी०एस०बी० बालेन्द्र स्कूल हरिपुर नायक कमलुआ गांजा हल्द्वानी नैनीताल को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) संस्था द्वारा की नियुक्त कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों व अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

Principal,
Gurukul International School
HALDWANI (Nainital) UK.

Director
Gurukul International School
HALDWANI (Nainital)

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि भूमि निजी स्वामित्व में क्रय की जाय अथवा 30 वर्ष की लीज पर प्राप्त की जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

([illegible])
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं० 5020 III/15-7-1998 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल नैनीताल ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, जी०इ०सी० कान्वेंट स्कूल हरिपुर नायक कमलुआगंज हल्द्वानी नैनीताल ।

आज्ञा से,

([illegible])
संयुक्त सचिव ।

Principal,
Gurukul International School
HALDWANI (Nainital) UK.

Gurukul International School
HALDWANI (Nainital)